यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ोठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

ाजस्व वाद संख्या : 14/2015

ादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. शशिप्रभा सिंघानिया
   पुत्री विश्वनाथ, सुल्तानिया
   पत्नि स्व. बी0पी0सिंघानिया
   जाति-महाजन, निवासी-8,
   शास्त्री नगर नीमच (म0प्र0)

1. शक्तिसिंह पुत्र राजुसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-निम्बेड़ाखुर्द
2. तहसीलदार, जैतारण
3. पटवारी हल्का-टूंकड़ा
4. प्रबन्धक मा0ग्रा0बैंक बलाड़ा
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.16.01.2015**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

=:: निर्णय ::= **दिनॉकः- 24/06/2015**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 130, खसरा नम्बर 104 रकबा 3-03 बीघा किस्म गै0मु0मगरी, खसरा नम्बर 105 रकबा 3-13 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 6-16 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान् के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में इन्द्राज हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को पारिवारिक प्रबन्धक एवं निजी आवश्यकता होने से जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 14/08/2012 को वादीया से प्रतिफल की राशि लेकर बेचान कर, वादीया को मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी संभला दिया। नकल बेचान रजिस्ट्री व नकल जमाबन्दी पेश की हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 के यहां रहन रखकर ऋण लिया तथा बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान भी प्रतिवादी संख्या 1 ने कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 ने वक्त भुगतान प्रतिवादी संख्या 4 से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया तथा बैंक का कोई ऋण बकाया भी नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 एन0ओ0सी0 नहीं दे रहा हैं। इस कारण से जमाबन्दी में रहन इन्द्राज होने के कारण वादीया अपने अधिकारों से दिनप्रतिदिन महरूम हो रही हैं। वादीया अपने द्वारा क्रय की गई भूमि की बेचान रजिस्ट्री लेकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पास दिनांक 04/12/2014 को गई व अपना नाम क्रय की गई भूमि में दर्ज करवाने बाबत् कहा तो वादीया के पक्ष में म्यूटेशन पारित करने से मना कर दिया व कहा कि उक्त भूमि बैंक के रहन हैं। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से उसके 1/3 हिस्से की क्रय की गई भूमि में वादीया का नाम दर्ज नहीं होता हैं तो वादीया अपने हक व अधिकारों से महरूम होगी। जिसका मूल्यांकन किसी सूरत में संभव नहीं हो सकेगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से मात्र वादीया को परेशान करने की नियत से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं कर रहे हैं। उपरोक्त कारणों से वादीया क्रय की गई भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वादीया की क्रय की गई भूमि में प्रतिवादीगण दिनांक 02/12/2014 को आये व वादीया को कहा कि क्रय की गई भूमि में तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं हैं तथा वादीया के उपयोग / उपभोग में दखल व दस्तन्दाजी करने की ऐलानिया धमकी दी। तब वादीया को उक्त वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ। वादीया ने उक्त वाद पेश करने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से राज्य के हित प्रभावित नहीं होने से धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 7 के तहत् छूट हैं। बिनायवाद दिनांक 02/12/14 को प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग / उपभोग करने में दखलन्दाजी करने एवं दिनांक 04/12/2014 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पास क्रय की भूमि में नाम दर्ज करवाने बाबत् जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के यहां उक्त भूमि रहन होने का कहने पर तथा प्रतिवादी संख्या 4 की बैंक में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई ऋण बकाया नहीं होने के बावजूद भी एन0ओ0सी0 जारी नहीं करने पर बमुकाम-निम्बेड़ाखुर्द (बलाड़ा) तहसील -जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादीया का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 बावजूद सम्मन की तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 18/03/2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 18/03/2015 से लगातार अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा पेश करने हेतु अवसर अनेकानेक देने के बावजूद भी विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से क्रय की गई भूमि का विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज की नकल पेश की गई, सा0मि0 हैं। राजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण नहीं किया हैं किन्तु सम्बद्ध बैंक के पत्रांक/शून्य दिनांक 24/06/2015 द्वारा एम0जी0बी0 बलाड़ा के रहन होने से उक्त ऋण खाता दिनांक 29/03/2013 को बन्द करवा देने से प्रति0 का खाता ऋण मुक्त हो चुका हैं। जिससे प्रति0 द्वारा वादी को विक्रीत 1/3 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाया जाना लाजमी हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 130, खसरा नम्बर 104 रकबा 3-03 बीघा किस्म गै0मु0मगरी, खसरा नम्बर 105 रकबा 3-13 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-2 कुल रकबा 6-16 बीघा में 1/3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावें कि माफिक निर्णय राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के कब्जे काश्त में दखल करने से जरिए निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -टूंकड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. शशिप्रभा सिंघानिया
   पुत्री विश्वनाथ, सुल्तानिया
   पत्नि स्व. बी0पी0सिंघानिया
   जाति-महाजन, निवासी-8,
   शास्त्री नगर नीमच

1. शक्तिसिंह पुत्र राजुसिंह
   जति-राजपूत,निवासी-निम्बेड़ाखुर्द
2. तहसीलदार, जैतारण
3. पटवारी हल्का-टूंकड़ा
4. प्रबन्धक मा0ग्रा0बैंक बलाड़ा
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0स0:14/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 130, खसरा नम्बर 104 रकबा 3-03 बीघा किस्म गै0मु0मगरी, खसरा नम्बर 105 रकबा 3-13 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-2 कुल रकबा 6-16 बीघा में 1/3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावें कि माफिक निर्णय राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के कब्जे काश्त में दखल करने से जरिए निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	08	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner